

July 5, 2022

Ms Anjali Rathour
 Kanpur Nagar
 Kanpur, Uttar Pradesh, India
 Mobile: 8419040745

Letter of Offer

Dear Anjali,

This has reference to your application and subsequent discussion with us.

We are pleased to offer you an appointment in our Organization for position of **Trainee Research Associate** in **Synthesis** based at **Greater Noida** on the terms and conditions as have been mutually agreed.

This offer is subject to you being found medically fit after proper medical examination and reference verification.

You will be issued a formal letter of appointment on your joining duties. You are advised to join us on or before **18 July 2022**. In case you fail to join your duties on the date mentioned, the management reserves the right to cancel your offer.

The compensation and benefits program applicable to your grade is enclosed for your reference. Please note your compensation is confidential matter between you and the company and the company shall view any breach of confidentiality with utmost seriousness. The cost that will be incurred by the company on account of your joining or reimbursement to you by the company i.e. Relocation Expenses and Notice Pay Reimbursement will be recovered in the full in the event of your leaving the company before completion of 12 months of service in the company.

We welcome you to Jubilant Biosys Ltd and look forward to a happy association. Please sign the duplicate copy of this letter in token of your acceptance and return the same to us.

Thanking you,
 For Jubilant Biosys Ltd

HEAD-BUSINESS HR

July 5, 2022

Dear Anjali,

This refers to our letter of Offer dated 5 July 2022 for the position of **Trainee Research Associate** in **Synthesis** based at **Greater Noida**.

Please submit the following documents at the time of your joining

1. Photocopy of Date of Birth and all Educational qualification certificates.
2. Photocopy of Relieving letter of previous employer(s).
3. Offer of Appointment or latest increment letter and last 3 months' salary slips mentioning overall compensation.
4. Certificate for current year income and tax deducted by previous employer (Optional).
5. One softcopy and four recent passport-size photographs with maroon background.
6. Photocopy of PAN Card, Aadhaar Card & UAN card.

7. Please ensure all KYC details in UAN i.e. Aadhaar, PAN and Bank details are digitally approved on EPFO website (www.epfindia.gov.in).
8. Please ensure your name, Father's Name & DOB should be same in PAN Card, Aadhaar Card & UAN card. Any mismatch of details to be corrected before joining & shared with TA SPOC.
9. One signed cancelled cheque of existing savings bank account with name printed for KYC.
10. Copy of Aadhaar Card of all members declared under the Mediclaim Policy/ESIC.
11. If you are holding your bank account in SBI/CICI bank, please bring one cancelled cheque for salary processing. In case you do not have your account in any of these banks, the same will be opened at the time of joining.

Please bring all original certificates/ documents for verification.

For Jubilant Biosys Ltd



पत्रांक सं०: UP00230020176401 / 1009021381

जारी दिनांक : 09/10/2021

साक्षात्कार - पत्र

विज्ञापन संख्या : 02/2021
परीक्षा का नाम व विषय : Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board / प्रवक्ता - अर्थशास्त्र
रजिस्ट्रेशन नं० : UP00230020176401
अनुक्रमांक : 1009021381
अभ्यर्थी का नाम : MEERA YADAV
पिता का नाम : RAKESH YADAV



सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त विज्ञापन संख्या एवं विषय की लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किये गये हैं। आपका साक्षात्कार दिनांक **28/10/2021** को समय **12:00 PM** बजे कार्यालय **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज**

23, एलनगंज, प्रयागराज, पिन - 211002 में करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया साक्षात्कार के दिन चयन बोर्ड कार्यालय में निम्न सूचनाओं/अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

- 1- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के अनुसार निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियाँ तथा स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो साक्षात्कार के समय साथ लाना अनिवार्य होगा :-
(क) शैक्षणिक/प्रशिक्षण अंकपत्र व प्रमाणपत्र।
(ख) आरक्षण श्रेणी प्रमाणपत्र।
(ग) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से निर्गत दिव्यांग (ओ0एच0, पी0एच0, अथवा एच0एच0) होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र।
(घ) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
(ङ0) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अभ्यर्थी द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का प्रमाणपत्र।
(च) खेल प्रमाण पत्र यदि हों।
(छ) उ0प्र0 के निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र।
(ज) मुख्य चिकित्साधिकारी से निर्गत शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र।
(झ) अन्यत्र सेवारत होने की स्थिति में सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सेवा का संतोषजनक प्रमाण-पत्र।
(ञ) चरित्र प्रमाण पत्र।
- 2- आवेदन पत्र में जिस शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता अथवा अन्य योग्यता/प्रमाणपत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उस योग्यता/प्रमाण-पत्र का लाभ देय नहीं होगा और न ही इनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय स्वीकार किये जायेंगे।
- 3- किसी भी प्रस्तुत साक्ष्य के अभिप्रमाणित न होने पर उसका लाभ न मिल सकेगा।
- 4- आवेदन-पत्रों के साथ आप द्वारा प्रस्तुत जिन अंक-तालिकाओं में पूर्णांक न दिये गये हों, उनके पूर्णांक को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य अथवा उस परीक्षा वर्ष का "प्रॉस्पेक्टस" जिससे पूर्णांक का पता चल सके साक्षात्कार के पूर्व जाँचकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करें।
- 5- साक्षात्कार के निमित्त आपको कोई यात्रा-भत्ता या यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।
- 6- किसी कारणवश आप उपर्युक्त तिथि को साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होंगे तो किसी भी दशा में पुनः साक्षात्कार का अवसर नहीं दिया जायेगा।
- 7- मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है उसे चयन बोर्ड परिसर में लेकर न आयें।
- 8- साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आपको अपना नाम, जाति, धर्म व आरक्षण श्रेणी का उल्लेख नहीं करना है।
- 9- आप द्वारा दी गयी किसी भी सूचना के गलत व असत्य पाये जाने पर साक्षात्कार व चयन न करते हुए आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

—

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद कन्नौज।

पत्रांक: / बेसिक /

/ 2021-22 दिनांक : 23.07.2021

नियुक्ति आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 समशरण मौर्या व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एव विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के क्रम में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के पदों पर एव शासनादेश संख्या-1191(1)/68-5-2020 दिनांक 06.10.2020 एव परिषद के पत्रांक वे०शि०प०/9609-9931/2020-21 दिनांक 11.10.2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31277 एव शासनादेश संख्या-1569/68-5-2020-17/2020 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 एव परिषद के पत्रांक वे०शि०प०/14101-14275/2020-21 दिनांक 28.11.2020 के अनुपालन में द्वितीय चरण में 36597 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की गयी थी।

शासनादेश संख्या -456/68-5-2021-17/2020 दिनांक 17.05.2021 एव परिषद के पत्रांक वे०शि०प०/10777-11022/2021-22 दिनांक 26.05.2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन वेणु-2 रू० 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200) लेवल-6 में एक वर्ष के परीक्षा काल पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्न तालिका में अगित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग/श्रेणी	विशेष आरक्षण	स्थायी निवास का पता थाना के नाम सहित	आधार संख्या	वेतन संख्या	गट/आई०सी० संख्या
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
55	16001442 38	PRAVEEN BAJPAI	KRISHAN KUMAR	1991- 12-14	MAL E	GENE RAL		126 SANJAY GANDHI NAGAR NAUBASTA KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH 208021	674908 353936	CDCPB6 056N	ATA0143 925

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एव अभिलेखों के परीक्षण (काउन्सिलिंग) के समय प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षणिक अभिलेख, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 का प्रमाणपत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा, आरक्षण/विशेष आरक्षण से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापनोपरान्त गलत/फर्जी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य (void ab initio) माना जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह नियुक्ति 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी।

(के० के० ओझा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद कन्नौज।

पू०सं०: / बेसिक / 1503

/ 2021-22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, जनपद कन्नौज।
- 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।
- 4- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 5- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
- 7- विल्ट नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 8- अध्यक्ष/प्राचार्य, डायट, जनपदीय चयन समिति, जनपद कन्नौज।
- 9- सम्बन्धित सदस्य जनपदीय चयन समिति, जनपद कन्नौज।
- 10- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर, मण्डल, कानपुर।
- 11- विल्ट एव लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा जनपद कन्नौज।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज।
- 13- सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 07 दिवस के अन्दर जनपद कन्नौज के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद कन्नौज कार्यालय में प्राप्त करायेगा।
- 14- गार्ड फाईल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद कन्नौज।

प्रश्नक

जिला विद्यालय निरीक्षक,

कन्नौज।

संवा में

प्रबन्धक,

श्रीमती गोमती देवी गर्ल्स इण्टर कालेज,

मकरन्दनगर-कन्नौज।

पत्रांक चयनबोर्ड /

/ 2021-22

दिनांक-12/11/2021

विषय- विज्ञापन संख्या-02/2021 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी को प्रवक्ता सरकृत के पद कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उपसचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के पत्रांक-3199-3282 / चयन/123-2021/2021-22 दिनांक 03.11.2021 द्वारा प्रवक्ता संस्कृत वर्ग-01 एवं वर्ग-02 के लिए चयनित अभ्यर्थी को नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करते हुए संस्था में कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु विवरण निम्नवत है-

दिनांक क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व पता	विषय	आवृत्त संस्था	चयनित श्रेणी
07	1015010115	अभ्यर्थी का नाम-PRIYANKA YADAV पिता/पति का नाम-PHOOL SINGH YADAV अभ्यर्थी का पुरा पता- PHOOL SINGH YADAV, PUROOSHOTTAMPUR, CHHEOLAHA, FATEHPUR UTTAR PRADESH-212650	संस्कृत	श्रीमती गोमती देवी गर्ल्स इण्टर मकरन्दनगर कन्नौज।	सामान्य वर्ग

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच करने के उपरान्त संस्था में मौलिक रिक्त पद के प्रति नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा चयनित अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड व विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त ही वेतन निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विद्यालय में सदनित पद के प्रति मातृनाय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उसका पालन किया जाये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा स्थापित नियमावली में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा। कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाये।

भवदीय

(राजेंद्र दाव)

जिला विद्यालय निरीक्षक
कन्नौज।

प०स० चयनबोर्ड /

6094-6100

/ 2020-21

तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज।
2. शिक्षा निदेशक(मा०) 18 पार्क रोड सिविल कार्यालय लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल कानपुर।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०शि०) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक के शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र एवं अन्य के सत्यापन उपरान्त ही वेतन मुगतान की कार्यवाही करे।
5. प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें।
6. PRIYANKA YADAV FATHER/HUSBEND PHOOL SINGH YADAV, PUROOSHOTTAMPUR, CHHEOLAHA, FATEHPUR UTTAR PRADESH-212650

जिला विद्यालय निरीक्षक
कन्नौज।



पं० पृथी नाथ (पी०जी०) महाविद्यालय, कानपुर
PANDIT PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE, KANPUR

96/12, Mahatma Gandhi Marg, Kanpur - 208 001

Telefax : (0512) 2361924, Website : www.ppncollege.org • e-mail : ppncollegekanpur@gmail.com

Ref. No. 590/2022-23

Dated 04/06/2022

✓ Ms. Shrasty Katiyar,
Manpur Gol Kunwa Road,
Near Lohiya Park Saraimera Kannauj,
Kannauj. (U.P.) - 209726.

Subject :- Letter of Appointment

Sir,


With reference to Director (H.Edu.) Prayagraj letter No. Degree Earth-1/commission/151-156/2022-23 dated 25-05-2022, I am glad to inform you that you have been appointed as an Assistant Professor in the Department of Commerce as per conditions mentioned in aforesaid D.E. letter on a salary of Rs. 57700/- (as per 7th - pay commission, pay matrix level 10) plus D.A. and other allowances as per State Govt. Rules in the grade of Rs. 15600-39100 + grade pay Rs. 6000/-. Your appointment shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year.

On your joining the post, you will be deemed to have accepted the conditions of service as recommended in the statutes of C.S.J.M. University, Kanpur, U.P., Higher Education Service Commission Act 1980, and aforesaid D.E. Letter.

Please submit your joining report to the Principal, P.P.N. (P.G.) College, Kanpur, within 21 days from the receipt of this letter.


If you fail to join within time, your appointment will stand automatically cancelled.

No. T.A. and D.A. is admissible for joining the post.


(Prof. Anoop Kumar Singh)

Principal
PRINCIPAL
PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR

Yours faithfully,


(Yogendra Swarup)

President
PRESIDENT
PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1- D.E.(H.Edu.) U.P., Prayagraj.
- 2- Regional Higher Education officer, Kanpur.
- 3- Registrar, C.S.J.M. University, Kanpur.
- 4- Head, Department of Commerce.
- 5- Accountant, P.P.N. College, Kanpur.

RAJIV MITTAL
General Manager
National Head - Human Resources

April 14, 2022

Ms. Apoorva Dixit
House No.- 57 Gandhi Nagar,
Ajitmal District, Auraiya,
Uttar Pradesh- 206121

Dear Apoorva,

With reference to your application and the subsequent interviews you had with us, we are pleased to appoint you in Housing Development Finance Corporation Limited on the following terms:

1. You will be placed in the **Operations Department at Kanpur Office** and will report to **Mr. Naveen Kumar Sharma, Manager, Operations Department.**
2. You will be designated as **Assistant Manager in Grade 8**
3. The details of your compensation package are indicated in the attached Annexure A.
4. The offer of appointment is subject to submitting copies of all your scholastic/academic and extra-curricular attachments along with proof of your age and proof of last drawn salary. The records/documents that need to be submitted at the time of joining are indicated in the attached Annexure B.


You are also requested to bring your original documents/ certificates on the date of joining, for verification.

5. All the credentials declared by you during the recruitment and selection process are assumed to be true and correct in good faith and expectation. However, the information furnished by all the employees is subject to an independent confidential verification by HDFC.

Further, if the outcome of the independent verification is contrary to the information declared by you, you shall be subject to such actions as deemed fit and proper under the then prevailing facts and circumstances, including termination without any further enquiry.

In the event your services are terminated by virtue of this clause, there will be no notice period required and the company shall be entitled to recover such expenses as borne during your selection and recruitment process.

6. You will be on probation for a period of **six months**, which may be extended in case your performance is found unsatisfactory. During the probation period, your services can be dispensed with, without notice and without assigning any reason. You will continue to be on probation unless you are specifically confirmed in writing.



1

7. In case you wish to resign from the services of Housing Development Finance Corporation Limited during the probation period, you will be required to give thirty days notice or one month's gross salary in lieu of notice.

Notwithstanding anything contained herein above, the final relieving shall be subject to the exigencies of the job requirement and as such the notice period may vary. The decision of the Management and the concerned Department Head shall be final and binding in this regard and the condition of payment in lieu of notice period as mentioned above shall not be applicable in such cases.

8. Although you are initially being appointed at our **Kanpur Office**, you are liable to be transferred to any department/office anywhere in India/abroad, or transferred/assigned responsibility in any associate company or a company/entity promoted by HDFC.
9. As you are a full time employee, you will not be permitted to take on any employment or work of any nature without the written consent of the Management.
10. During the probation period, you will not be eligible for any of the perquisites, which only permanent employees are eligible for, in line with the Company policies.
11. Upon you ceasing to be in the employment of the company for any reason whatsoever, you will be obliged to account for and return all property of the Company in your possession, custody or charge. These include but are not limited to documents, manuals, records, books, keys, business cards, files and all other items of a professional nature, which were acquired or created during your employment.
12. You will be bound by all the existing rules and regulations of the Corporation and those that may be framed from time to time.
13. You shall also be subject to the provisions of the HDFC Code of Conduct as amended from time to time and also to the broad principles laid under the Online Staff Guide.
14. You will be required to participate in business related meetings, conferences, events, as well as any training programmes, at any location in India/abroad, as and when required by the Company.
15. In order to facilitate your smooth integration into HDFC and its culture, **Mr. Priyank Goel, Deputy Manager, Operations (Self Employed Hub) Department**, would be your mentor from your date of joining, whom you may approach for any guidance/assistance from time to time.
16. Along with this letter, we are also attaching a copy of the revised Maternity Benefit Policy (applicable for female employees only), in line with the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017.

Uttar Pradesh Higher Education Services Commission
18-A, Nyay Marg, Prayagraj - 211001(UP)

पत्रांक- उ०शिक्षा/आयोग/

117 / 2022-2023

दिनांक 30/04/2022

चयन परिणाम (सामान्य सूची)

आयोग के विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित स्नातक/एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहायक आचार्य साहियकी (077) विषय के 18 पदों (अनारक्षित 07, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 01, अन्य पिछड़ा वर्ग 05 अनुसूचित जाति 05, सहशिक्षा महाविद्यालय में महिलाओं हेतु 03 पदों) के प्रति योग्यताक्रम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

आयोग के संकल्प संख्या 1159 दिनांक 30.04.2022 द्वारा अनुमोदित एवं संस्तुत)

U R

क्र.सं.	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	श्रेणी	PROV	अभियुक्ति
1	5007700267	NIDHI	Female	SC		Selected in U R category
2	5007700343	PAWAN KUMAR	Male	OBC		Selected in U R category
3	5007700050	ANKITA MISHRA	Female	GEN		Selected in U R category
4	5007700031	KM LALITA SINGH	Female	OBC		Selected in U R category
5	5007700177	VAISHALI PATEL	Female	OBC		Selected in U R category
6	5007700220	PUSHPENDRA KUMAR	Male	OBC		Selected in U R category
7	5007700140	POOJA SINGH	Female	EWS	Y	Selected in U R category

OBC

क्र.सं.	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	श्रेणी	PROV	अभियुक्ति
1	5007700026	RAUSHAN KUMAR JAISAWAL	Male	OBC		Selected in OBC category
2	5007700008	ROHIT PATAWA	Male	OBC		Selected in OBC category
3	5007700023	SAURABH	Male	OBC	Y	Selected in OBC category
4	5007700073	ARUN PAL	Male	OBC		Selected in OBC category
5	5007700080	ASHOK VERMA	Male	OBC		Selected in OBC category

EWS

क्र.सं.	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	श्रेणी	PROV	अभियुक्ति
1	5007700148	SAKSHI RAJ	Female	EWS		Selected in EWS category

SC

क्र.सं.	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	श्रेणी	PROV	अभियुक्ति
1	5007700112	VJENDRA KUMAR SONKER	Male	SC	Y	Selected in SC category
2	5007700121	RAHUL GAUTAM	Male	SC		Selected in SC category
3	5007700024	MANOJ KUMAR	Male	SC		Selected in SC category
4	5007700113	SUMIT KUMAR	Male	SC		Selected in SC category
5	5007700292	USHA RANI	Female	SC		Selected in SC category

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1 (आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
पी.पी.एन. कालेज, कानपुर

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 162-167 /2022-23

दिनांक 31/05/2022

विषय :- विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर CHEMISTRY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय पी.पी.एन. कालेज, कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर CHEMISTRY वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ ले जो डॉ० डा० रवीन्द्र नाथ राय की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ०शि० आयोग/ उ०शि०आयोग/सी-873/70/254/2022-23 दिनांक 23/05/2022 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर CHEMISTRY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधिवाचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम ANOOP KUMAR GUPTA

पता-102, VILLEGE- PAIKAULI BAZAR POST- PAIKAULI BAZAR PS- JAITPUR AMBEDKAR NAGAR UTTAR PRADESH 224149

श्रेणी -OBC, चयन श्रेणी -GENERAL
मेरिट सूची में क्रमांक-28

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन क भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तान्कित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष बाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय

10- रसायन विज्ञान विषय की आसन-व्यवस्था मा. उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल अपील सं. 945/2020, याचिका ए- संख्या- 3372/2022, 4109/2022, 4126/2022, 9754/2021 एवं इससे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

" यह नियुक्ति अनन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। "

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

DIGITAL SIGNED BY
CN=AMIT BHARADWAJ, SERIALNUMBER=3c84754cf4e27e4b057fdb2303548bd2006Ddccc39ddb8fFee67fb4b2c0db01d, S=Uttar Pradesh, PostalCode=244001

भवदीय,

डा0 अमित
भारद्वाज
शिक्षा निदेशक
(उ0शि0)
उ0प्र0,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री अर्थ-1 (आयोग)/162-167/ उसी तिथि को।

उक्त संस्तुति पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग- 05, लखनऊ।
- 2. प्राचार्य, पी.पी.एन. कालेज, कानपुर।
- 3. संबंधित अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया :-
 (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरंत सूचित करें।
 (ख) महाविद्यालय के प्रबंधनपत्र से संपर्क कर शीघ्रतिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें।
 (ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
- 4. - सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी|KANPUR
- 5. - सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

DIGITAL SIGNED BY
CN=Rajiv Pandey, SERIALNUMBER=786c5db24d427ff9ccf488751af94804ec825d0227ec0425093d0074e088ba5e.
OID.2.5.4.45=f03410065383831323363363566313334636238356235396139373730656461376338383864666338306432666136653430306663653962313631336138643165656432.
S=Uttar Pradesh, PostalCode=250001, Phone=765df81d8907b8221812d5ea44ded7ddaf3b6179a118cf92dab9ae08a040be20, OID.2.5.4.65=b1777dd728514edfa160273ca3314cc6,
O=Personal, C=IN

भवदीय,

डा0 (राजीव
पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक
(उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा
निदेशक
(उ0शि0)उ0प्र0,
प्रयागराज।

नोट- यह संस्तुति-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त व मान्य है।

पत्रक

शिक्षा निर्देशक (उत्तर) उत्तराखण्ड

श्री श्री अर्थ (आयोग)

प्रयागराज

में

महोदय प्रबन्धक प्राधिकृत नियुक्त

डी.ए.वी. महाविद्यालय, गोरखपुर

पत्रक श्री श्री अर्थ (आयोग) 17/05/2022-23

दिनांक 25/05/2022

विषय: विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर ZOOLOGY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय

कृपया अपने महाविद्यालय डी.ए.वी. महाविद्यालय, गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर ZOOLOGY वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 1000 के सम्बन्ध में उक्त आयोग के अनुसार प नोटिफिकेशन नं. 10/8/2022 में उक्त पद का सटमें में जो डॉ० डा० विरव दीपक की सेवानिवृत्ति मृत्यु व्यवस्थापन एकाद प्रबन्धन के अन्तर्गत रिक्त 54 में उपलब्ध है।

उक्त पद पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या 3-सि-आयोग उत्तराखण्ड/आयोग सी.873/72/223/2022-23 दिनांक 17/05/2022 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ZOOLOGY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 15(2) के अन्तर्गत आलेख द्वारा उपरोक्त अधिपत्रक हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 15(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

DR. RAKSHA GUPTA RAKSHA GUPTA

पिन 128 347 H2 BLOCK KIDWAI NAGAR, KANPUR KANPUR UTTAR PRADESH 208011

पंजी FWS चयन बण्ड FWS

मेरिट सूची में क्रमांक 3

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी का आवेदन की छायाप्रति समस्त आवश्यकता सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः कृपया आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 15(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि जो भी पहले हो, से विन्यन्तम आठ दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्रेषित करने का आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि पदग्रहण हेतु सहायक के लिए संबंधित अभ्यर्थी को प्रेषित समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाए।

संबन्धित अभ्यर्थी प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समानान्तर्गत निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का अनिवार्यतः संस्तुत करना।

यदि भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समानान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धक द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धक को बिना पूर्व सूचना दिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रबन्धक के विरुद्ध धारा- 50 की कार्यवाही हेतु शासन को अनुरोध कर दी जायेगी परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धक अवकाशित कर प्राधिकृत नियुक्त नियुक्त कर दिये जाते पर इसका सम्पूर्ण अन्तर्गत प्रबन्धक प्रबन्धक पर होगा।

यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी द्वारा अपना पदग्रहण निषेधित अवधि में सहायता नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निर्देशक को एक सप्ताह के अन्दर विराम बंधक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करवा कर नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निर्देशक से अवश्य प्राप्त करनी

Date of joining: 14 Nov. 2022



JOIN INDIAN NAVY

Directorate of Manpower
Planning & Recruitment
C WING
IHQ-Mod(Navy)
Sena Bhawan,
New Delhi 110011

23 Jul 21

CALL LETTER FOR FINAL MEDICAL EXAMINATION FOR ENROLMENT IN THE INDIAN NAVY

Dear **Devansh Sachan**,

1. This is to inform you that you have been provisionally selected for recruitment in the Indian Navy for **AA** August, 2021 batch. Your enrolment will be subject to your clearing the final medical examination and various tests (Screening, Entry Behavior test, etc.) being conducted for the particular entry as applicable, on arrival at INS Chilka.
2. You are to report to the Recruiting Office, INS Chilka on **06/08/21 06:30 hrs.**
3. You have been appointed against your registration number **G1701388NL.**
4. Your present selection will stand cancelled and you will have no claim for enrolment in the Indian Navy, on any of the following grounds:
 - (a) If you are found medically unfit.
 - (b) In case you fail to report on the date and time mentioned at Para 2 of this letter.
 - (c) Failure to bring with you the documents/ items mentioned in the joining instructions.
 - (d) Particulars / Information uploaded or declared during application process not matching with original documents.
5. Please get your Pre-Enrolment police verification certificate completed, duly signed by police authority, and bring the same to INS Chilka.
6. All candidates are to compulsorily carry COVID-19 RT-PCR tested negative certificate (issued by State/District Medical Authorities) not more than 96 hours old before reporting at INS Chilka. COVID-19 protocols to be followed by candidates during induction as mentioned in Joining Instructions.
7. Your basic training at INS Chilka will cover the following:
 - (a) Academic and service subjects.
 - (b) Sports Activities.
 - (c) Outdoor training such as Parade Training, Sailing, Boat Pulling, Swimming, CrossCountry, Trekking, Firing etc.
 - (d) Service oriented activities including maintenance of equipment, living spaces, training areas etc.
8. You are liable to be discharged as 'unsuitable' if your progress or conduct is unsatisfactory in any field during probationary / training period, in accordance with Regulation 278 (4) of the Regulations for the Indian Navy Part III (Statutory).
9. Post enrolment during the period of training and thereafter, if certain diseases/ ailments are detected which were not detected during induction medical, you will be invalidated out from the service through a Medical Board as per current orders.
10. During your training period and thereafter, you will be entitled to full pay and allowances, entitled uniforms, food and accommodation. On completion of training you will be entitled to the laid down services and benefits as provided for, in the regulations. Your service conditions will be governed by current orders.

Warning against Impersonation

Candidates' identity will be verified using technological means and biometrics. If impersonation is detected, concerned candidates will be disqualified at any stage of selection, training or service and debarred from further selection opportunities. Also, candidates involved will be prosecuted under IPC Sections 420 (Cheating), 467 (Forgery of valuable security), 468 (forgery for cheating) and 471 (using genuine as forged).

NOTE:

1. This is a computer generated report and does not require signature.
2. Please download the joining instructions for further action.

प्रेषक:

515

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

सोनीघापा खण्डेलवाल बालिका
इण्टर कालेजनिजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन
जनपद-मऊ

प्रापक:

कालेज 9473779857
मॉ.नं० 9785402201

विषय:

पत्रांक 32/1 धापा-008 / प्रवक्ता (मनोविज्ञान) / 2021-22 दिनांक 20.12.2021

सेवा में,

श्रीमती लक्ष्मी दूबे पुत्री श्री अरविन्द कुमार दूबे
निवासिनी-770 / 149 फायर स्टेशन लातुरा रोड
जनपद-कानपुर (उ०प्र०)विषय :- सोनीघापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज मऊ के प्रवक्ता (मनोविज्ञान) पद
पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत नियुक्ति पत्र।

महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ महोदय द्वारा निर्गत पत्रांक 8236/2021-22 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से अघोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उ० प्र० प्रयागराज द्वारा आपका चयन, जिसका पत्रांक स० पत्रांक /4515-4610/चयन/123-2021/2021-22 दिनांक 08.11.2021 है, सोनीघापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज, निजामुद्दीनपुरा, पोस्ट-मऊनाथ भंजन, जिला-मऊ की मनोविज्ञान विषय की प्रवक्ता पद के लिये किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में आपके शैक्षिक योग्यता व अन्य अभिलेखों को सत्यापन के अध्याधित रहते हुए आदेशानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है। अभिलेखों के सत्यापन में यदि कोई त्रुटि या अन्य कोई कमी पायी जाती है तो उक्त के लिये आप व्यक्तिगत रूप से सभी विभिन्न परिणामों के लिये दायित्वाधीन होगी, विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र अथवा प्रधानाचार्या का कोई भी विधिक या वित्तीय दायित्व आपके संदर्भ में नहीं होगा। उक्त तथ्यों व निर्देशों पर विचार विमर्श कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने सर्वसम्मति से सहमत होकर अपने संकल्प संख्या-2 दिनांक 19.12.2021 द्वारा आपको प्रवक्ता (मनोविज्ञान) के पद पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान व महंगाई भत्ता पर तथा नियमावली व सम्बद्ध शासनादेश के अधीन एक वर्ष की परीक्षा पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर लिया है।

आप से इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था की प्रधानाचार्या के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करती है तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीया,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-माननीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
- 2-मा० संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 3-जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, मऊ
- 4-प्रधानाचार्या, सोनीघापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज

मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्रवाहक- श्रीमती लक्ष्मी दूबे-
पुत्री श्री अरविन्द कुमार दूबे, निवासिनी-770 / 149 फायर स्टेशन
लातुरा रोड, जनपद-कानपुर (उ०प्र०)-नवनियुक्त प्रवक्ता (मनोविज्ञान) सोनीघापा खण्डेलवाल इण्टर कालेज
को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर सूचित करने का कष्ट करें।

(श्रीमती शकुन्तला देवी)
प्रबन्धक

सोनीघापा खण्डेलवाल इण्टर कालेज
निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन, मऊ

6